न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
महादेव बनाम षट्टी वगैरह
मु० नं० 19/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	04/10/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी की उपस्थिति स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जा चुका है अतः अब इस न्यायालय प्रा० प्र० को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः इस न्यायालय प्रा० प्र० को डिक्री पर खारिज किया जाता है। निर्णित आज नेट डायलाग उपलब्ध गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर गायब कि जाने तथा वादी प्रति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़